सर्वोच्च प्राथमिकता/व्यक्तिगत ध्यान देने यो

हेमन्त शेष,
निबन्धक,

राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

अ.शा. पत्रांक राम/भू.अ./एलआरसी/प–116/08 9707 – 739 दिनांक 3-7-12

मैं आपका ध्यान प्रमुख शासन सचिव, महोदया राजस्व विभाग द्वारा प्रेषित अ.शा.पत्र प.7(25) राज/2/2012/पार्ट–1 दिनांक 30.05.2012 व मण्डल द्वारा प्रेषित पत्रांक 5565–97 दिनांक 25.05.2012,6558–590 दिनांक 11.06.2012 तथा 8944–75 दिनांक 21.06.2012 ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें अवगत कराया है कि वर्ष 2012–13 के लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 208 की कियान्विति हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त खातेदारान को कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी उपलब्ध करवाई जानी है।

इसकी पालना हेतु राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा पत्रांक प.12(4) राज./ग्रुप–1/2011 दिनांक 17.05.2012 से निर्देशित किया है कि प्रत्येक ग्राम की जमाबन्दी आदिनांक होनी चाहिए। (जिसकी प्रति मण्डल द्वारा आपको प्रेषित की गई है)

इस संबंध में अपने जिले के सभी तहसीलदारो को 10.07.2012 से पूर्व बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित करें जिसमें प्रत्येक पटवार क्षेत्र की फील्ड की जमाबन्दी तथा अपना खाता साफ्टवेयर से जनरेट रिपोर्ट का मिलान कर साफ्टवेयर से जनरेट रिपोर्ट संलग्न कर बकाया नामान्तरकरण की तहसीलवार सूचना मण्डल को शीध्र भिजवाएं। इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि रोटेशन चौसाला जमाबन्दी का नियमित समयबद्ध कार्यक्रम बाधित नही किया जाए। अपने जिले की तहसील की प्राथमिकतानुसार जमाबन्दी आदिनांक करवाने हेतु तहसीलवार कार्ययोजना मण्डल को 15.07.2012 से पूर्व भिजवाने का कष्ट कराए जिसके प्रमाण पत्र का प्रारुप संलग्न है।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या अथवा साफ्टवेयर से रिपोर्ट जनरेट करने में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या हेतु वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, सैन्ट्रल सेल एनआईसी जयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है। जिनका मोबाइल नम्बर है 9928081166 बजट घोषणा का मंतव्य काश्तकार को जमाबंदी की आदिनांक लेमिनेटेड प्रति दिए जाने का है व नामान्तरकरण आदिनांक नही करने करने की स्थिति में इसे राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा ।

अतः माननीय मुख्यमंत्रीजी की बजट घोषणा की कियान्विति के हित में आप से अपेक्षा है कि आदिनांकीकरण के कार्य को सर्वोच्च महत्व प्रदान करते हुए दिन प्रतिदिन इस कार्य की स्थिति की मोनिटिरिंग स्वयं करें। कृपया संलग्न प्रमाण पत्र दिनांक 15.07.2012 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

सदभावी,

(हेमन्त शेष)

नामजद
जिला कलक्टर
समस्त (राजस्थान) ।
कमांकः सम/9740-771 दिनांक 3-7-12
प्रतिलिपि :–

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।

(अलका मीणा)
उप निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर